Dr. Pankaj Kumar Pandey,IAS
Secretary

Government of Uttarakhand

Department of Medical, Health and Family Welfare
Room No. 1, Vishwakarma Bhawan,
4 -Subhash Road, Secretariat,
Dehradun, Uttarakhand

Letter No. 360/PS-Secy(H)/2021
Dated : 16/04/2021

Dear Madam/Sir,

In view of the surge in COVID-19 cases, the following Advisories/ Instructions hitherto issued by the State Govt. are being again attached with this letter for your perusal and diligent implementation.

1. Letter no. 545 dated 16th March 2020 – Reg. avoiding gatherings in Health facilities
2. Letter no.120 dated 18th March 2020 - Reg. preventive measures in private establishments
3. Letter no. 509 dated 19th March 2020 - Reg. ensuring the flow of factual information through media /social media
4. Letter no.170 dated March 2020 - Reg. avoidance of gatherings by Hon'ble Public Representatives
5. Letter no. 580 dated 30th March 2020 - Reg. Strengthening of Contact Tracing of COVID positive cases
6. Letter no. 141 dated 19th June 2020 - Reg. Sample Testing in the Private sector
7. Letter no. 566 dated 8th August 2020 – Reg. Home Isolation of asymptomatic patients
8. Letter no. 178 dated 10th August 2020 – Reg. facilities for Home Isolated patients
9. Letter no. 198 dated 9th September 2020 – Addendum to Home Isolation guidelines.

While placing on record our appreciation for the extraordinary efforts undertaken by all of you thus far, this is to reiterate that these instructions and advisories must be adhered to strictly so as to minimize the mortality and morbidity resulting from the pandemic.

Encl: As above

Yours Sincerely,

16/4/21

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)

1. District Magistrates, All districts of Uttarakhand
2. Chief Medical Officers, All districts of Uttarakhand

Cc:

1. Secretary (Medical, Health and Family Welfare, Govt. Of Uttarakhand
2. Director General, Medical Education, Uttarakhand
3. Mission Director, National Health Mission, Uttarakhand
4. Director General, Medical Health and F.W., Uttarakhand
5. Officer In charge, IDSP, Uttarakhand

Annexure 1

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिला अधिकारी,
उत्तराखण्ड।

2. मुख्य चिकित्साधिकारी,
समस्त जनपद उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

देहरादून : दिनाँक : 16 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथाम एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रनण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरन्तर कार्यवाही/अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए भीड–भाड या किसी भी जमावड़े को टालने या सम्भवतः हो सके तो स्थगित करने की सलाह दी है।

अतः उपरोक्त के क्रम में जनपद के समस्त राजकीय एवं निजी चिकित्सालयों में भीड–भाड या किसी भी जमावड़े को रोकने के लिए आप अपने स्तर से चिकित्सालयों मे रोगियों से आगुन्तको के मिलने के समय को तत्काल प्रभाव से निलम्बित करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/546 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।

16/3/20

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Annexure-2

संख्या– 120 / पीएस / सप्र. / 2020

प्रेषक,

डॉ० पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. श्रमायुक्त, उत्तराखण्ड,हल्द्वानी, नैनीताल।
3. निदेशक, उद्योग विभाग, दहरादून, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादूनः दिनाँक 18 मार्च, 2020

विषयः–निजी कार्यालयों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक संस्थानों / कार्य स्थलों में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के सम्बन्ध में।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप में परिलक्षित हो रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इसे Pandemic के रूप में अधिसूचित किया है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा निरंतर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है एवं समीक्षा की जा रही है, परन्तु वर्तमान स्थिति के दृष्टिगत इस संक्रमण के पूर्ण नियंत्रण हेतु निरंतर कार्यवाही / अनुश्रवण करते रहना अति आवश्यक है। इसी क्रम में अवगत कराना है कि विश्व भर के विशेषज्ञों ने कोरोना वायरस संक्रमण के फैलने से रोकने के लिए भीड़–भाड़ या किसी भी जमावड़े को टालने या संभव हो सके तो स्थगित करने की सलाह दी है।

2– अतः उपरोक्त के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि राज्य के निजी कार्यालयों / व्यवसायिक प्रतिष्ठानों एवं औद्योगिक संस्थानों / कार्य स्थलों में कोरोना वायरस (COVID-19) की रोकथाम के लिए निम्न कार्यवाही करना सुनिश्चित किया जाएः–

1. जहाँ तक संभव हो कार्मिकों से घर से ही काम कराने की प्राथमिकता दी जाए।
2. कार्मिकों से शिफ्ट में काम करवाया जाए तथा प्रत्येक शिफ्ट में आवश्यकतानुसार एवं कम से कम श्रमिकों / कार्मिकों को ही बुलाया जाए।
3. यह सुनिश्चित करें कि कार्य स्थल साफ और स्वच्छ रहे।
4. कार्य स्थलों में बैठकों या समारोह इत्यादि का आयोजन स्थगित करें। संभव हो सके तो बैठकों के लिए वीडियो कांफ्रेंसिग का उपयोग किया जाए।
5. खांसी, जुकाम, सांस लेने में तकलीफ के लक्षण वाले कर्मचारियों को कार्य स्थल पर न आने दें। उसे अवकाश स्वीकृत किया जाए।
6. कार्य स्थल में कर्मचारी अभिवादन / शिष्टाचार में हाथ न मिलायें व अन्य गैर सम्पर्क तरीकों का उपयोग किया जाए।
7. कार्य स्थलों के सभी वॉशरूम में साबुन, हैण्ड वॉश और सैनेटाइजर रखवाना सुनिश्चित किया जाए तथा हाथों को अच्छी तरह धोया जाए।
8. खांसते अथवा छींकते समय अपने मुँह एवं नाक को रूमाल से ढकें।

9. यदि किसी व्यक्ति में खांसी, जुकाम, बुखार के लक्षण हों तो उससे दूरी बनाते हुए सावधानी बरतें।
10. बाहर से आने पर एवं नाक, आँख अथवा मुँह को छूने के बाद अपने हाथों को नियमित रूप से साबुन एवं पानी से अच्छी तरह धोयें।
11. अधिक मात्रा में तरल पदार्थ एवं पौष्टिक आहार का सेवन करें।
12. खुले एवं असुरक्षित खाद्य पदार्थों का सेवन बिल्कुल न किया जाए।
13. बिना चिकित्सकीय परामर्श के दवाई न ली जाए।

अधिक जानकारी हेतु स्वास्थ्य विभाग की हैल्पलाइन 104 पर सम्पर्क किया जा सकता है। बुखार, जुकाम, खांसी या सांस लेने में दिक्कत जैसे लक्षण उत्पन्न होने पर नजदीकी चिकित्सालय में सम्पर्क करें।

उपरोक्त दिशा–निर्देशों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

18/3/20

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– 120 /पीएस/सप्र/2020 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि:– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के द्वारा दिये गये निर्देशों के क्रम में अवलोकनार्थ सादर प्रषित।
2. प्रमुख सचिव, उद्योग विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
3. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
4. सचिव, श्रम विभाग, उत्तराखण्ड शासन।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)

Annexure 3

Annexure-3

संख्या 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
सूचना एवं जन सम्पर्क विभाग,
उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण — देहरादून : दिनाँक 13 मार्च, 2020

विषय – कोरोना वायरस संक्रमण रोकथान एवं नियंत्रण विषयक।

महोदय,

जैसा कि आप विदित हैं कि कोरोना वायरस संक्रमण एक अन्तर्राष्ट्रीय जन स्वास्थ्य समस्या के रूप मे परिलक्षित हो रहा है। चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा निरन्तर कोरोना वायरस संक्रमण की स्थिति पर निगरानी रखी जा रही है व समीक्षा की जा रही है। कोरोना वायरस रोग के नियंत्रण के लिए प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया मे निरन्तर जन जागरूकता हेतु सूचनाएं प्रकाशित की जानी अत्यन्त आवश्यक है।

उपरोक्त के क्रम में राज्य में कोरोना वायरस संक्रमण प्रबन्धन के अन्तर्गत मीडिया में प्रकाशित खबरों पर निगरानी रखी जानी अत्यन्त आवश्यक है। अत आप अपने स्तर से सम्बन्धित अधिकारियो/कर्मचारियों को निर्देशित करने का कष्ट करें कि निरन्तर मीडिया के विभिन्न माध्यमों के द्वारा जन जागरूकता की जाती रहे व प्रिन्ट एवं इलेक्ट्रोनिक मीडिया या सोशल मीडिया पर कोई भ्रामक खबर प्रकाशित होने पर शीघ्र ही खण्डन करे। निरन्तर यह भी प्रयास करने का कष्ट करें कि मीडिया प्लेटफार्म मे कोरोना वायरस को लेकर सही सूचना प्रकाशित होती रहे व आम जनमानस मे भय की स्थिति उत्पन्न ना हो।

भवदीय,

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या : 23प/आई0डी0एस0पी0/COVID 19/2020/........ तद्दिनांकित।

प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन देहरादून।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन उत्तराखण्ड।
4. प्रभारी अधिकारी आई0डी0एस0पी0।

(डॉ पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Scanned by CamScanner

Annex - 4

Annexure 4

उत्पल कुमार सिंह
Utpal Kumar Singh

मुख्य सचिव
Chief Secretary

उत्तराखण्ड शासन
Govt. of Uttarakhand
नेताजी सुभाष चन्द्र बोस भवन
Netaji Subhash Chandra Bose Bhawan
सचिवालय
Secretariat
4, सुभाष मार्ग, देहरादून
4, Subhash Marg, Dehradun
Phone (Off.) 0135-2712100
0135-2712200
(Fax) 0135-2712500
E-mail cs-uttarakhand@nic.in

अर्द्धशा. सं. 170 / नि0स0–मु.स. / 2020
देहरादून, दिनांक मार्च, 2020

विषय : COVID 19 के सन्दर्भ में अपील।

आप सभी भिज्ञ हैं कि COVID19 संक्रमण बहुत तीव्र गति से दुनिया के देशों में फैल रहा है। भारतवर्ष इस आपदा से अछूता नहीं है। उत्तराखण्ड में भी अब तक 3 COVID 19 मामले प्रकाश में आए हैं अतएव संक्रमण को इसी stage पर रोकने के लिए हर सम्भव प्रयास किया जाना जनहित में सर्वोपरि होगा।

विशेषज्ञों का मानना है कि इस संक्रमण को एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में फैलने से रोकने में social distancing सर्वाधिक महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। ऐसा करना इस संक्रमण के विस्तार की श्रृंखला को तोड़ने में सर्वाधिक सहायक होगा। इसी बात को ध्यान में रखकर मा0 प्रधानमंत्री जी द्वारा दिनांक 19.03.2020 को राष्ट्र के नाम संदेश में social distancing के महत्व को प्रमुख स्थान दिया गया तथा दिनांक 22.03.2020 को प्रातः 7:00 बजे से सांय 9:00 बजे तक जनता कर्फ्यू का आहवान किया है।

आप सभी सम्मानित जनप्रतिनिधि होने के नाते आप सभी से बड़ी संख्या में लोग अपनी समस्या आदि लेकर दैनिक मिलते हैं। इन मिलने वाले अधिकांश लोगों की स्वास्थ्य status की जानकारी नहीं होती है और न ही यह ज्ञात हो पाता है कि जाने–अनजाने में ऐसे लोग इस बीमारी से ग्रसित तो नहीं अथवा किसी COVID 19 से संक्रमित व्यक्ति के सम्पर्क में तो नहीं आये हैं। ऐसी परिस्थिति में इस तीव्रगति से फैलने वाली बीमारी का इन्हीं व्यक्तियों के मध्य संक्रमण की आशंका और अधिक हो जाती है। यही कारण है कि दुनिया में कई जनप्रतिनिधि गण को COVID 19 वाहक के सम्पर्क में आने के कारण quarantine पर रखा जाना पड़ा है। इसी क्रम में राज्य सरकार द्वारा भी आदेश दिनांक 16 मार्च, 2020 COVID 19 के प्रसार को रोकने की दिशा में राज्यभर में किसी भी स्थान पर 50 से अधिक व्यक्तियों के एकत्रित होने को प्रतिबन्धित किया गया है।

ऐसी दशा में आप सभी से निवेदन है कि आगाभी 15 दिन तक अपने यहाँ जनता दर्शन/जनता मिलन कार्यक्रमों को पूरी तरह से स्थगित करने पर विचार करें। इसके अलावा ऐसे किसी भी कार्यक्रम में प्रतिभाग करना उचित नहीं होगा, बल्कि उन्हें हतोत्साहित करना श्रेयस्कर होगा जिनमें लोगों के इकट्ठा होने की संभावना बनती हो। आप सभी के इस निर्णय से COVID 19 के संक्रमण और फैलाव को रोकने की दिशा में राष्ट्रव्यापी प्रयास को काफी शक्ति तो मिलेगी ही, साथ ही आप एवं आपके सम्पर्क में आने वाले सभी व्यक्तियों के स्वास्थ्य की भी रक्षा हो सकेगी।

भवदीय

(उत्पल कुमार सिंह)

समस्त मा0 विधायकगण,
उत्तराखण्ड।

Annex-5

(51)

Annexure 5

प्रेषक,

डा0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्साधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा एवं परिवार कल्याण   दिनांक : 30 मार्च, 2020

विषयः– Corona Virus Disease COVID-19 से बचाव एवं प्रबन्धन हेतु कोविड–19 के पॉजिटीव केसेस की Contact Tracing के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि कोरोना वायरस कोविड–19 के पॉजिटीव केसेस की Contact Tracing की जानी है। Contact Tracing का कार्य एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसमें अनिवार्य रूप से पॉजिटीव केस के सर्म्पक में आये शत–प्रतिशत व्यक्तियों की Contact Tracing कर चिन्हित किया जाना है। कान्टेक्ट ट्रेसिंग हेतु पूर्व में ही विस्तृत गाइडलाइन जारी की जा चुकी है। साथ ही उक्त को सरलीकृत करते हुये पुनः दिशा–निर्देश जारी किये गये है (पत्रांक UKHFWS/PS/MD-NHM/2019/20/01/220 दिनांक 24/03/2020)। उक्त के क्रम में जनपदवार रैपिड रेस्पान्स टीम/ब्लाक रेसपान्स टीमों (आर0आर0टी0/बी0आर0टी0) का गठन किये जाने के निर्देश दिये गये थे। इन आर0आर0टी0/बी0आर0टी0 के द्वारा अपने–अपने क्षेत्र में अनुश्रवण कार्य किया जा रहा होगा।

कार्य की महत्ता को दृष्टिगत रखते हुये इस कार्य हेतु जनपद में एक वरिष्ठ अधिकारी के नेतृत्व में टीम बनाकर यह कार्य सम्पादित किया जाना है। इस हेतु जनपद में तैनात अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को इसका नोडल अधिकारी नामित किया जाये। अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट को तकनीकी सहयोग जनपद में तैनात District Surveillance Officer/ IDSP Epidemiologist के द्वारा प्रदान किया जाये। अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में District Surveillance Officer/ IDSP Epidemiologist के अतिरिक्त Contact Tracing हेतु स्वास्थ्य एवं प्रशासन की एक संयुक्त टीम का गठन किया जाये, जो कि पॉजिटीव केसेस के सर्म्पक में आये व्यक्तियों की शत प्रतिशत Contact Tracing पूर्ण करे। यह टीम उपरोक्त वर्णित आर0आर0टी0/बी0आर0टी0 का सहयोग लेते हुये Contact Tracing का कार्य पूर्ण करेगी। अपर जिलाधिकारी अथवा प्रभारी अधिकारी कलेक्ट्रेट के नेतृत्व में उक्त टीम का गठन करते हुए उसकी सूचना मय उनके सम्पर्क मोबाइल नम्बर के राज्य नियंत्रण कक्ष को सूचित करें।

राज्य नियंत्रण कक्ष से पॉजिटीव केसेस की सूचना प्राप्त होने पर जनपद द्वारा उक्त वर्णित टीमों के सहयोग से त्वरित कार्यवाही करते हुये अपनी आख्या राज्य नियंत्रण कक्ष को

उपलब्ध करायी जायेगी। इसके अतिरिक्त यदि अन्य जनपदों अथवा प्रदेश के बाहर के अन्य जनपदों के द्वारा पॉजिटीव केसेस के Contact Tracing की सूचना प्राप्त होती है तो ऐसी स्थिति में भी उक्त टीमें त्वरित कार्यवाही करते हुये सूचना सम्बन्धित जनपदों को एवं राज्य नियंत्रण कक्ष को उपलब्ध करायेगी।

अतः Contact Tracing के अति महत्वपूर्ण एवं संवेदनशील कार्य को उक्तानुसार पूर्ण करने का कष्ट करें।

भवदीय,

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– 23प/आई0डी0एस0पी0/कोविड–19/2020/580 तददिनांक

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही करने हेतु प्रेषित।

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखड शासन।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड, देहरादून।
3. मिशन निदेशक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन, उत्तराखण्ड।
4. अपर मिशन निदेशक/जनपदीय नोडल अधिकारी हरिद्वार, उधमसिंह नगर, नैनीताल एवं देहरादून, उत्तराखण्ड।
5. देहरादून सैटेलाइट कन्ट्रोल रूम, कार्यक्रम निदेशक, यू0यू0एस0डी0ए0 कार्यालय, देहरादून।
6. हरिद्वार सैटेलाइट कन्ट्रोल रूम, कमान्डेन्ट 40, पी0ए0सी0 कार्यालय, हरिद्वार।
7. प्रभारी अधिकारी, आई0डी0एस0पी0 उत्तराखण्ड।

30/3/20

(डा0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

Anne-6

Letter No. 141 /Secy. (I)/PS/COVID-19/2020

From,

Dr. Pankaj Kumar Pandey,
Secretary (In charge)

1. All District Magistrate, Uttarakhand
2. All Chief Medical Officer, Uttarakhand

Medical Health and Family Welfare **Dehradun, Dated: 19 June, 2020**

Subject: Directions for COVID 19 sample testing by Private hospital/Private labs

Madam/sir,

As you are aware that the Laboratory testing is a key intervention in Covid19 control. Timely diagnosis is an essential step to timely contain Covid19 infection transmission. To ramp up the testing facility all over the country, ICMR has authorized various private laboratories to conduct Covid-19 testing if they are following all necessary directions as per ICMR.

In this regard all the Private Laboratories and hospitals in Uttarakhand state conducting Covid 19 testing are hereby directed to follow below mentioned directions:

- All the Private practitioners/Hospitals will follow the latest ICMR directions for testing the category of persons or suspected patients.
- The Sample Request Form (SRF) shall be filled up through RTPCR App.
- The details of sample collection shall be shared with State & District health authorities on Real time basis.
- All the samples shall have prescription of registered medical practitioners.
- Once the sample has been collected, the suspected person must be kept under isolation, till the report of testing comes.
- The isolation of suspect person shall be the responsibility of treating practitioner/hospital.
- The details of isolated person shall be shared with State & District health authorities on Real time basis.
- Regular monitoring of isolated person is responsibility of treating hospital/practitioner till sample report comes.

- If the person tests negative, he/she shall be treated for symptoms and adequately managed. Patient shall be discharged as per clinical assessment.
- If the person tests positive, he/she shall be treated as per the latest Clinical Management Protocol.
- The Private laboratories shall share all positive & negative results to State & District health authorities on Real time basis.

You are requested to kindly take necessary action in this regard and communicate to all concerned for compliance.

Yours Sincerely

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
Secretary (In charge)

Letter No. 141 /Secy. (I)/PS/COVID-19/2020

Copy to the following for information:

1. Chief Secretary, Government of Uttarakhand
2. Secretary, Medical Health and Family Welfare, Govt. of Uttarakhand.
3. Director General of Police, Government of Uttarakhand.
4. Director General, Medical Health and Family Welfare, Uttarakhand.
5. Mission Director, National Health Mission, Uttarakhand.
6. Director, Medical Education, Uttarakhand.

(Dr. Pankaj Kumar Pandey)
Secretary (In charge)

संख्या–566 / PS/Sec-H / 2020

Annexure 7

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी,
उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी,
उत्तराखण्ड

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग **देहरादूनः दिनाँक 08 अगस्त, 2020**

विषयः– लक्षणरहित (asymptomatic) कोविड–19 संक्रमित रोगियों के होम–आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 02 जुलाई, 2020 को निर्गत नवीनतम दिशा–निर्देश एवं सम्यक विचारोपरांत, कोविड–19 संक्रमित (Corona Positive) लक्षणरहित **(asymptomatic) ऐसे** रोगियों को उनके अपने निवास में ही सेल्फ–आइसोलेशन का विकल्प उपलब्ध कराने हेतु गाइडलाइन्स निर्गत की गयी है, जिनके निवास में इस हेतु वांछित सुविधाएं उपलब्ध हों।

2. अतः उक्त के सम्बन्ध में सम्यक विचारोपरांत मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि प्रदेश में कोविड–19 संक्रमित रोगियों हेतु होम आइसोलेशन की सुविधा निम्नलिखित दिशा–निर्देशों के अंतर्गत प्रदान करने का निर्णय लिया गया हैः–

1. होम–आइसोलेशन की पात्रता :–

1. उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा ऐसे व्यक्ति को लक्षणरहित **(asymptomatic)** रोगी के रूप में चिन्हित किया गया हो।
2. 24 घण्टे रोगी की देखभाल करने के लिए देखभाल करने वाला एक व्यक्ति (care-giver) उपलब्ध हो।
3. सम्पूर्ण आइसोलेशन अवधि के दौरान देखभाल करने वाले व्यक्ति एवं सम्बन्धित चिकित्सालय के मध्य सम्पर्क बनाये रखना होम–आइसोलेशन के लिए प्रमुख अनिवार्यता है।
4. ऐसे रोगी के निवास पर स्वयं को आइसोलेट करने एवं परिजनों को क्वारंटीन करने की सुविधा उपलब्ध हो। घर में रोगी के लिए एक शौचालय युक्त कक्ष एवं उसकी देखभालकर्ता (care-giver) के लिए एक अतिरिक्त शौचालययुक्त कक्ष अनिवार्य रूप से होना चाहिए। यदि परिवार में रोगी और देखभालकर्ता (care-giver) के अतिरिक्त अन्य व्यक्ति भी हैं, तो उनके लिए न्यूनतम एक और शौचालययुक्त कक्ष होना अनिवार्य है।
5. ऐसे रोगी जिनकी आयु 60 वर्ष से अधिक है या अन्य बीमारी से ग्रसित हैं (Co-morbid), गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम आयु के बच्चे अथवा ऐसे रोगी जिनकी रोग–प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश (एच.आई.वी./अंग–प्रत्यारोहित/कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले) कमजोर है, वे होम–आइसोलेशन के लिए पात्र नहीं होंगे।

2–

Scanned with CamScanner

6. ऐसे घर जिसमें 60 वर्ष से अधिक आयु के या अन्य बीमारी से ग्रसित व्यक्ति हैं (Co-morbid), गर्भवती महिलाएं, 10 साल से कम आयु के बच्चे अथवा ऐसे रोगी जिनकी रोग–प्रतिरोधक क्षमता किसी कारणवश (एच.आई.वी./ अंग–प्रत्यारोहित/कैंसर का उपचार प्राप्त करने वाले) कमजोर है, उस घर में होम आइसोलेशन की अनुमति नहीं दी जाएगी।
7. देखभाल करने वाले व्यक्ति (care-giver) एवं रोगी के नजदीकी सम्पर्कों को प्रोटोकॉल एवं उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के परामर्श के अनुसार हाइड्रॉक्सीक्लोरोकीन प्रोफाइलेक्सिस लेनी होगी।
8. लिंक www.mygov.in/aarogya.setu.app/ पर उपलब्ध 'आरोग्य सेतु' मोबाइल ऐप को मोबाइल पर डाउनलोड करना होगा तथा इस ऐप को ब्लूटूथ एवं वाई–फाई के माध्यम से सदैव सक्रिय रखना होगा। इसके साथ ही, दिन में दो बार इस ऐप में सूचना को अपडेट करना होगा। स्मार्ट फोन न होने की दशा में रोगी के द्वारा नियंत्रण कक्ष के दूरभाष पर अपने स्वास्थ्य के स्थिति की जानकारी देनी होगी।
9. स्वास्थ्य विभाग के द्वारा विकसित किए गए आइसोलेशन ऐप http://dgmhuk-covid19.in/covid19.apk को मरीज को अपने स्मार्ट फोन पर डाउनलोड करना होगा एवं नियमित रूप से समस्त जानकारी भरनी होगी।
10. रोगी को अपने स्वास्थ्य के नियमित अनुश्रवण के दायित्वों को स्वीकार करना होगा तथा सम्बन्धित जनपद के जिला सर्विलांस अधिकारी को इसकी नियमित सूचना प्रदान करनी होगी।
11. रोगी को संलग्नक–01 पर सैल्फ–आइसोलेशन हेतु एक अण्डरटेकिंग देनी होगी तथा क्वारंटीन गाइडलाइन्स का अनुपालन करना होगा। इस पर सम्यक विचारोपरांत, उपचार प्रदान करने वाले चिकित्सक के द्वारा होम–आइसालेशन की अनुमति दी जाएगी।
12. रोगी एवं देखभाल करने वाले व्यक्ति को संलग्नक 02 के अनुसार निर्देशों का अनुपालन करना होगा।
13. जिले के मुख्य चिकित्साधिकारी द्वारा गठित टीम द्वारा होम–क्वारंटीन की सुविधाओं का निरीक्षण करने के उपरांत ही रोगी को होम–आइसालेशन में भेजा जाएगा।

2. चिकित्सा की आवश्यकता की स्थिति:–

रोगी एवं देखभाल करने वाला व्यक्ति नियमित रूप से अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे। निम्नलिखित गम्भीर लक्षण विकसित होने पर तत्काल चिकित्सकीय सहायता हेतु जनपद के स्वास्थ्य अधिकारियों/नियंत्रण कक्ष से सम्पर्क किया जाएगा:–

1. सांस लेने में कठिनाई।
2. शरीर में ऑक्सीजन की संतप्ता (saturation) में कमी (Sp02<95%)
3. सीने में लगातार दर्द/भारीपन होना।
4. मानसिक भ्रम की स्थिति अथवा सचेत रहने में असमर्थता।
5. बोलने में समस्या।
6. चेहरे या किसी अंग में कमजोरी।
7. होठों/चेहरे पर नीलापन।

3. जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों की भूमिका:–

1. जनपदीय स्वास्थ्य प्राधिकारियों के द्वारा होम–आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड–संक्रमित रोगियों का नियमित अनुश्रवण किया जाएगा।

3–

Scanned with CamScanner

2. होम–आइसोलेशन में रखे गए सभी कोविड संक्रमित रोगियों की स्वास्थ्य स्थिति का अनुश्रवण फील्ड स्टाफ/सर्विलांस टीम के साथ–साथ एकीकृत कोविड कमाण्ड एवं कंट्रोल सेंटर के द्वारा किया जाएगा।
3. फील्ड स्टाफ के द्वारा रोगी एवं उसकी देखभाल करने वाले व्यक्ति (care-giver) को इन पैरामीटर को नापने के लिए आवश्यक जानकारी एवं प्रशिक्षण दिया जाएगा।
4. होम–आइसोलेशन में रखे गए रोगी का विवरण नियमित रूप से कोविड पोर्टल पर अपडेट किया जाएगा तथा जिला स्तरीय अधिकारियों के द्वारा इस पर अपडेशन का अनुश्रवण किया जाएगा।
5. होम–आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने अथवा उपचार की आवश्यकता की स्थिति में रोगी को शिफ्ट करने हेतु प्रशासन द्वारा तत्काल आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

4. होम–आइसोलेशन की समाप्ति :–

होम–आइसोलेशन में रहने वाले रोगियों का होम–आइसोलेशन कोविड Positive होने के 10 दिनों के पश्चात् तथा पिछले 03 दिनों तक बुखार न आने की स्थिति में समाप्त माना जाएगा। इसके पश्चात् अगले 07 दिनों तक रोगी घर पर ही रहकर अपने स्वास्थ्य का अनुश्रवण करेंगे। होम–आइसोलेशन की समाप्ति पर टैस्टिंग की आवश्यकता नहीं है।

संलग्नक : यथोपरि।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

पत्रांक : / /2020 तद्दिनाँकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. सचिव (प्रभारी), चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा निदेशालय, देहरादून।
4. आईडीएसपी, एनएचएम, देहरादून।
5. चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, राज्य कोरोना नियंत्रण सैल, उत्तराखण्ड।

(अमित सिंह नेगी)
सचिव।

Scanned with CamScanner

संलग्नक–01

Home Isolation अन्डरटेकिंग

मैं .... पुत्र / पुत्री / पत्नी...
निवासी .... कोविड–19 के पुष्ट / संदिग्ध केश के रूप में पहचाना / पहचानी गया / गयी हूँ एवं स्वेच्छा से निर्धारित अवधि के लिए हर समय सख्त सेल्फ आइसोलेशन बनाये रखूंगा / रखूंगी।

1. मेरे घर पर मेरे लिए शौचालय के साथ एक अतिरिक्त कक्ष उपलब्ध है।
2. मेरे घर पर 24x7 मेरी देखभाल के लिए मेरे परिवार का एक सदस्य उपलब्ध है।
3. मेरे द्वारा अपने मोबाइल में 'आरोग्य सेतु' एप डाउनलोड कर लिया गया है।
4. इस अवधि के दौरान मैं अपनी स्वास्थ्य निगरानी और मेरे आसपास के व्यक्तियों की निगरानी करूँगा / करूँगी।
5. मेरे द्वारा किसी गम्भीर संकेत व बिगड़ते लक्षणों से पीड़ित होने पर या मेरे किसी नजदीकी पारिपारिक संपर्क का कोविड–19 के अनुरूप लक्षण विकसित होने पर निर्दिष्ट (assigned) सर्विलेंस टीम / उपचार कर रहे चिकित्सक / कन्ट्रोल रूम (104 / 0135 2609500) से सहयेाग करते हुए बातचीत करूँगा / करूँगी।
6. शासन द्वारा समय–समय पर जारी दिशा–निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित करूँगा / करूँगी।
7. मुझे आइसोलेशन अवधि के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में विस्तार से बताया गया है, जिनका मेरे द्वारा होम आइसोलेशन करते समय पालन करने की आवश्यकता है।
8. मैं होम आइसोलेशन के किसी भी क्रमाचार (Protocol) के गैर पालन के लिए निर्धारित कानून के तहत कार्यवाही हेतु उत्तरदायी हूँ।

हस्ताक्षर..

दिनाँक..

मरीज का मोबाइल नं0..........................

देखभालकर्ता का मोबाइल नं0......................................

Scanned with CamScanner

Asymptometic Corona Positive व्यक्तियों के लिए Home Isolation के दिशा–निर्देश

क्या करना है	क्या नहीं करना है
➢ Home Isolation की अवधि में परिवार से अलग कमरे में रहें। ➢ Home Isolation की अवधि में घबरायें नहीं एवं अपना मनोबल ऊँचा रखें। ➢ हमेशा ट्रिपल लेयर सर्जिकल Mask पहन कर रखें एवं Mask को हर 08 घंटे/ गीला/गंदा होने पर बदलें व उसे नियमानुसार (1प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से विसंकमित कर) त्याग करें। ➢ अपने शरीर की नियमित साफ– सफाई करें। ➢ समय– समय पर अपने हाथों को साबुन से **40 सेकेंण्ड** तक धोऐं अथवा 70% या अधिक Alcohol युक्त Sanitizer का प्रयोग करें। ➢ अपने चेहरे पर हाथ न लगायें। ➢ छींकते एवं खॉसते समय अपने नाक एवं मुँह को टिशू पेपर से ढके। ➢ पृथक शौचालय का इस्तेमाल करे, जिसे परिवार का अन्य व्यक्ति उपयोग न करें। ➢ शौचालय को इस्तेमाल करने के बाद नियमित रूप से (1प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट अथवा 5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन) साफ करें। ➢ आराम करें एवं यथासम्भव योग, ध्यान करें। ➢ तरल एवं पौष्टिक आहार का सेवन करें। ➢ पानी का सेवन अधिक मात्रा में करें। ➢ **चिकित्सक द्वारा दिये गये परामर्श एवं दवाईयों का सेवन नियमित रूप से करें।** ➢ अपने शरीर के तापमान को सुबह–शाम नापना सुनिश्चित करें। ➢ कोई भी लक्षण **(जैसे– बुखार, खाँसी, सांस लेने में तकलीफ, सीने में दर्द, होंठ एवं चेहरे का नीला पड़ना, मानसिक भ्रम इत्यादि)** होने पर तुरंत उपचार कर रहे चिकित्सक से सम्पर्क करें या राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित कोविड–19 कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0 104/ 0135 2609500 पर सम्पर्क करें।	➢ Home Isolation की अवधि में परिवार के किसी भी सदस्य के सम्पर्क में न आयें। ➢ घर पर इधर–उधर बिल्कुल न जायें। ➢ खुली जगह में ना छीकें ना थूकें। ➢ घर पर अपने उपयोग हेतु परिवार से अलग बन्द Dustbin का प्रयोग करें। ➢ घर के साझे स्थान जैसे– रसोईघर, हॉल इत्यादि का उपयोग बिल्कुल न करें। ➢ घर पर अतिथि एवं अन्य बाहरी व्यक्ति को आमंत्रित न करें। ➢ घर पर यदि पालतू पशु हो तो उससे दूरी रखें। ➢ घर पर **विशेषकर** बच्चों, बुजुर्गों, गर्भवती महिलाओं एवं co-morbid रोग (जैसे– बी0पी0, मधुमेह, हृदयरोग, गुर्दारोग इत्यादि) से ग्रस्त व्यक्तियों से दूर रहें।

घर के सदस्यों/देखभालकर्ता हेतु दिशा– निर्देश

- ➢ परिवार का एक ही व्यक्ति समाजिक दूरी बनाते हुए Mask एवं सर्जिकल दस्ताने का उपयोग करते हुए मरीज की देखभाल करे।
- ➢ खाने– पीने एवं अन्य उपयोगी सामग्री बच्चों, बुजुर्गो, गर्भवती महिला एवं co-morbid रोग से ग्रस्त व्यक्ति द्वारा ना दी जायें।
- ➢ Mask का प्रयोग करने के दौरान Mask को आगे की तरफ से न छूँएं।
- ➢ देखभालकर्ता स्वयं के चेहरे, नाक एवं मुँह को न छुँएं।
- ➢ Mask एवं सर्जिकल दस्तानों को नियमानुसार विसंकमित (Disinfect) करने के उपरान्त त्याग कर हाथों को अच्छे से धोये।
- ➢ मरीज के शारीरिक स्रावों (Body Fluids) के सीधे सम्पर्क में न आयें।
- ➢ मरीज के सभी कपड़े, चादर, तौलिया आदि एवं उनके द्वारा छूऐ गये सतह जैसे फर्श, टेबल टॉप, शौचालय इत्यादि को 5 प्रतिशत ब्लीच सोल्यूशन अथवा 1 प्रतिशत सोडियम हाइपोक्लोराइट सोल्यूशन से साफ करें।
- ➢ मरीज के धुले सभी कपड़ो को पृथक से सुखायें।
- ➢ घर पर यदि पालतू पशु हो तो उन्हें Home Isolation मरीज से दूर रखें।
- ➢ उक्त अवधि में घर पर कोई भी सामाजिक कार्यक्रम जैसे– बर्थडे पार्टी आदि समारोह आयोजित न करें।
- ➢ Home Isolation मरीज एवं परिवार के किसी भी सदस्य को स्वास्थ्य सम्बन्धित परेशानी (जैसे– बुखार, खॉसी एवं सांस लेने में तकलीफ) होने पर तुरंत उपचार कर रहे चिकित्सक से सम्पर्क करें या राज्य एवं जनपद स्तर पर स्थापित कोविड–19 कन्ट्रोल रूम के दूरभाष नं0 104/ 0135 2609500 पर सम्पर्क करें।
- ➢ अपने व अपने परिवार के मोबाइल पर **आरोग्य सेतु ऐप** को अनिवार्य रूप से डाउनलोड करें।

उपचार कर रहे चिकित्सक का नाम व मोबाइल नं0..............

Scanned with CamScan

Annex-8

संख्या– 178 /पीएस/सप्र./2020

Annexure 8

प्रेषक,

डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय,
सचिव (प्रभारी),
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

महानिदेशक,
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, उत्तराखण्ड
देहरादून।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण देहरादूनः दिनाँक 10 अगस्त, 2020

विषयः–कोविड–19 से संक्रमित रोगियों को होम–आइसोलेशन **में उपलब्ध कराये जाने वाली सुविधा के सम्बन्ध में।**

महोदय,

जैसा कि आप अवगत हैं कि वर्तमान में राज्य में कोविड–19 संक्रमण का प्रसार हो रहा है और इस संक्रमण से निपटने के लिए लगातार प्रत्येक स्तर पर आवश्यक कार्यवाही की जा रही है। शासन के द्वारा कोविड–19 से संक्रमित रोगियों के लिए होम–आइसोलेशन की सुविधा कुछ शर्तों के साथ अनुमन्य की गयी है। इस सम्बन्ध में सचिव, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण उत्तराखण्ड शासन द्वारा कोविड–19 की समीक्षा बैठक में दिए गए निर्देशों के क्रम में आपसे अपेक्षा है कि होम–आइसोलेशन में रखे जाने वाले प्रत्येक रोगी को इस सम्बन्ध में आपसे हुए विचार–विमर्श के अनुसार एक पल्स ऑक्सीमीटर (जो मरीज द्वारा होम–आइसोलेशन पूर्ण होने पर विभाग को वापस लौटाया जाएगा), एक मर्करी थर्मोमीटर, 50 ट्रिपल लेयर सर्जिकल मास्क, 100 ML सैनेटाइजर विटामिन सी की 15 गोलियां, विटामिन–डी 3 के 02 पाउच, पैरासीटामोल की 10 टेबलेट, एक लाल पॉलीथीन बैग (बायोमेडिकल वेस्ट डिस्पोजल हेतु), एक निर्देश पुस्तिका (एन.एच.एम. द्वारा मुद्रित) तथा चिकित्सकों द्वारा Asymptomatic COVID-19 Positive मरीजों को दी जाने वाली अन्य दवायें उपलब्ध कराए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

भवदीय,

10/8/20

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव (प्रभारी)

संख्या– 178 /पीएस/सप्र/2020 तद्दिनाँक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन।
2. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
3. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

/

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)

Annox - 9

संख्या–190 /

Annexure 9

प्रेषक,

अमित सिंह नेगी,
सचिव,
उत्तराखण्ड शासन।

सेवा में,

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तराखण्ड।
2. समस्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी, उत्तराखण्ड।

चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग **देहरादून: दिनाँक : 09 सितम्बर, 2020**

विषयः– लक्षण रहित (Asymptomatic) कोविड–19 संक्रमित रोगियों के होम–आइसोलेशन के सम्बन्ध में दिशा–निर्देश।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक कोविड–19 संक्रमित (Corona Positive) लक्षणरहित (**Asymptomatic**) रोगियों को Home Isolation की सुविधा उपलब्ध कराये जाने हेतु शासनादेश संख्या 566/PS/Sec-H/2020, दिनाँक 08 अगस्त, 2020 के द्वारा दिशा–निर्देश निर्गत किए गए थे, तदोपरांत शासनादेश संख्या 1320/XXVIII-I/20-01(19)2020, दिनाँक 01 सितम्बर, 2020 के द्वारा 10 साल से छोटे बच्चे तथा वरिष्ठ नागरिकों के Home Isolation के सम्बन्ध में निर्देश जारी किए गए थे।

2. उपरोक्तानुसार पूर्व में निर्गत शासनादेशों को यथावत् रखते हुए अतिरिक्त रूप से गर्भवती महिलाओं को भी निम्नलिखित प्राविधान के अनुसार Home Isolation में रखे जाने के सम्बन्ध में निर्णय लिया गया है:–

1. ऐसी गर्भवती महिलायें (ANC) जिन्हें कोई बीमारी (Co-Morbid) नहीं है।
2. कोविड–19 पॉजिटिव गर्भवती महिलायें, जिन्होंने स्वस्थ शिशु को जन्म दिया है (PNC) तथा वे पूर्ण रूप से स्वस्थ हैं और उन्हें अस्पताल से सामान्य रूप से Discharge किया जा सकता है, को भी Home Isolation में रखा जा सकता है।

भवदीय,

(अमित सिंह नेगी)
सचिव

संख्या– /पीएस/2020 तददिनांक।
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. मुख्य सचिव, उत्तराखण्ड शासन के अवलोकनार्थ।
2. महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा, उत्तराखण्ड शासन।
3. निदेशक, चिकित्सा शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड।
4. मिशन निदेशक, एनएचम, देहरादून।
5. आईडीएसपी, एनएचएम, देहरादून।
6. चीफ ऑपरेशन ऑफिसर, राज्य कोरोना नियंत्रण सैल, उत्तराखण्ड।

(डॉ0 पंकज कुमार पाण्डेय)
सचिव(प्रभारी)